(38)

R.P. 4057
3-10-96

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

R 84-III/96

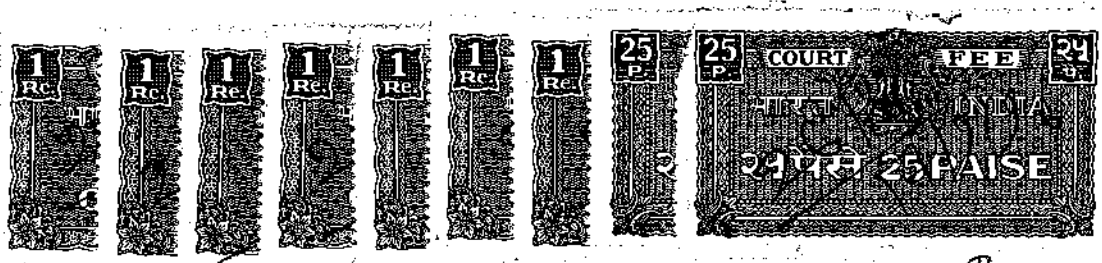

C.C. 7-50

1·राधेश्याम काछी तनय भागीरथी काछी

2·चन्द्र काछी तनय मनफेर काछी

3·मुस0 ऐतवरिया वेवा भागीरथी काछी

4·मुस0 उदसिया वेवा परदेशी काछी

5·अर्जुन काछी तनय परदेशी काछी नावालिग जरिये वली माँ उदसिया काछी ,समस्त निवासी ग्राम बलवार तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी, मध्यप्रदेश ---------- आवेदकगण·

श्री वृजेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता सीधी द्वारा आज दिनांक 17·9·96 को प्रस्तुत

बनाम·

1·रामनाथ पिता शिवाशरण उम्र 32 साल,
2·जगदीश प्रसाद तनय शिवाशरण उम्र 45 साल,
3· सुखमन्ती वेवा शिवाशरण उम्र 80 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम बलवार रामपुरनैकिन, जिला सीधी, म0प्र0,

4·श्रीमती राधे पुत्री शिवाशरण पत्नी देवशरण निवासी टकटैया,

5·श्रीमती रामरती पुत्री शिवाशरण पत्नी शिवाशरण निवासी टकटैया, तहसील चुरहट, जिला सीधी, म0प्र0,

6·वेदवती पुत्री शिवाशरण पत्नी लक्ष्मण प्रसाद निवासी बैदला तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0,

7·श्रीमती कलावती पुत्री शिवाशरण पत्नी द्वारिका निवासी ग्राम चुरहट तहसील चुरहट, जिला सीधी, म0प्र0 -------- अनावेदकगण·

18 - III 3·10·96

3·10·96

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक- 482/अपील/91-92, में पारित आदेश दिनांक 19·6·96 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं0 1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 84–दो/1996 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23 –5–2016	आवेदक के अधिवकता श्री आर0 एस0 सेंगर द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 482/अपील/91–92 में पारित आदेश दिनांक 19.6.96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि रामनाथ आदि के पिता सियाशरण ने तहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत कर विवादित भूमि उसे बटवारा में प्राप्त हुई है किन्तु उसमें उसका कब्जा नहीं लिखा जा रहा है। खसरा पंचसाला में विवादित भूमि का उसका पंचसाला खसरा में कब्जा लिखा जावे। सियाशरण का आवेदन स्वीकार कर कब्जा लिखे जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध राधेश्याम काछी आदि ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें आवेदकगणों के पक्ष में आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.6.92 से परिवेदित होकर रामनाथ आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाकर निर्देश दिये कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को पूरा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये बटवारे का आदेश पारित करें जिससे से परिवेदित होकर राधेश्याम काछी आदि ने इस न्यायालय में निगरानी	

प्रस्तुत की है ।

3- आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर का तर्क है कि प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 115 हेतु प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का अनुश्रण नहीं किया है और न्यायिक मान्यताओं के अनुकूल संहिता की धारा 115 के ब्याख्या नहीं किया है जिससे प्रश्नाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि धारा 115 के अन्तर्गत आधिपत्य की नवीन इन्ट्री सृजिस नहीं की जा सकती जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश के माध्यम से अनावेदकगणें का कब्जा लिखे जाने हेतु नई इन्ट्री सृजित करने का आदेश पारित किया गया है जो बिलकुल ही न्यायोचित नहीं है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश निरस्त किया जावे।

4-अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है उनके लिये कई बार नोटिस जारी किये लेकिन कोई उपस्थित नहीं ।

5- मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा निगरानी मेमों में वर्णित आधारों का अवलोकन किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने सियाशरण की अपील इसलिये खारिज की है कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है । यदि

अनुविभागीय अधिकारी को किसी दस्तावेज या साक्ष्य आदि की जरूरत है जैसा अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश के अंतिम पैरा में उल्लेख किया है तो उन्हें प्रकरण प्रत्यावर्तित करना था लेकिन उनके द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की है । अगर किसी पक्षकार पर पूण दस्तावेज नहीं है तो उसको न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। इन समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 19.6.96 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः अपर आयुक्त रीवा का आदेश स्थिर रखा जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में समस्त सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निराकरण 6 माह के अन्दर किया जावे। प्रस्तुत आवेदक की निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(के. सी. जैन)
सदस्य